कल्याण बनाम मलोल देवी

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज धारा 88, 188 RTA मु. नं. 03/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
30/05/24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनु० उप०। बहस पुनः सुनकर अंतिम निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

राजस्व वाद संख्या 03/2020

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती मोनिका जाखड़ आर0ए0एस0

कल्याण पुत्र छगना जाति जाट निवासी ग्राम तबीजी तहसील व जिला अजमेर।

वादी

बनाम

1. अलोल देवी पत्नी जगदीशचन्द
2. इन्दरराज पुत्र हरकरण
3. पूनम पुत्री जगदीशचन्द पत्नी इन्दरपाल सिं जाति जाट निवासी कालेसरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
4. ब्रहमानन्द पुत्र रघुनाथ
5. मधुसुदन पुत्र रघुनाथ
6. मोना पुत्री लक्ष्मण
7. रंगलाल पुत्र किशना
8. राजेन्द्र पुत्र जगदीशचन्द
9. रामरतन पुत्र प्रताप
10. लीलादेवी पुत्री हरकरण पत्नी अमरचन्द पूनिया
11. सुखपाल पुत्र हरकरण (मृतक) जरिये वारिसान
    11/1 गीता पत्नी सुखपाल
    11/2 राजेश पुत्र सुखपाल
12. सुरेश पुत्र रघुनाथ
13. हंगामी पत्नी रघुनाथ
    समस्त जाति जाट निवासी ग्राम तबीजी तहसील व जिला अजमेर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अजमेर।

प्रतिवादी

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री घनश्याम सिंह लखावत — अभिभाषक वादी
2. श्री जुगराज सैनी — अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 से 6 व 8 से 13

निर्णय

दिनांकः— 30/05/2024

वादी की ओर से यह वाद पत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया वाद पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार से है कि वादी कल्याण पुत्र छगना का दादा सवाई पुत्र भोला था तथा सनफसली जमाबंदी 1349 में पूर्व खसरा संख्या 1495 में खातेदार सवाई पुत्र भोला अंकित किया हुआ है। सनफसली 1349 की जमाबंदी में अंकित कृषि भूमि खसरा संख्या 1495 रकबा 01—12—10 बीघा किस्म बारानी द्वितीय जो सवाई पुत्र भोला की खातेदारी में अंकित थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के उपरांत बनाये गये 1495 रकबा 001—12—10 बीघा भूमि सवाई पुत्र भोला जो वादी के दादा थे। उनके नाम अंकित रही तथा इसके उपरांत बिना किसी विधिपूर्ण आदेश के तथा बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये राजस्व अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित कर दी गई। खसरा संख्या 1495 के भू संशोधन के दौरान बनाये गये खसरा संख्या 1408 बाबत सम्वत 2041में बनाई गई ब्रकिंग/जमाबंदी में खसरा संख्या 1408 को जगदीश, रामरतन पुत्रगण

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

प्रताप, शंकर पुत्र प्रभू, रघुनाथ व हरकरण पुत्रगण जीता व किशना वल्द जोरा के नाम उनके खाते खसरा नम्बरान के साथ वादी के कब्जे काश्त व भौतिक धारण की भूमि खसरा संख्या 1408 को भी अंकित कर दिया गया, जो प्रतिवादीगण के पूर्वज रहे है। वर्तमान भू प्रबन्ध कार्य समाप्त होने के उपरांत खसरा संख्या 1408 के नये खसरा संख्या 2875 रकबा 0.26हैक्टेयर कायम किया गया तथा यह भूमि वर्तमान अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 के नाम अंकित है। जबकि सम्वत 2072 से 2075 तक बनाई गई उक्त जमाबंदी जो खाता संख्या 694 नये से संबंधित है, इसमें वर्णित खसरा संख्या 2875 का प्रतिवादीगण से कोई संबंध नहीं है। सम्वत 2018 से 2021 की जमाबंदी में वर्णित रही वादी के दादा के नाम अंकित भूमि जो बुजुर्गो के जमाने से कब्जे काश्त में रही तथा वर्तमान में वादी के भौतिक धारण में चली आ रही है, इस भूमि बाबत वर्तमान में बनाये गये खसरा संख्या 2875 के अंकन बाबत जमाबंदी की दुरूस्ती हेतु प्रतिवादीगण द्वारा कभी अपना हक, अधिकार नहीं जताया गया न ही वादी के भौतिक धारण व उपयोग उपभोग को कभी आक्षेपित किया गया। परन्तु अभिलेखों की त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु सहममति से दुरूस्ती बाबत जब भी वादी द्वारा प्रतिवादीगण से अलग-अलग निवेदन किया गया तो उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई, परन्तु समस्त प्रतिवादीगण एक साथ सहमत होकर तहसील में आने में सदैव दिक्कत रही इस कारण वांछित दुरूस्ती नही करवाई जा सकी। जमाबंदी सम्वत 2072-2075 में वर्णित अलोल पुत्री किशना तथा ऐजन पुत्री किशना द्वारा प्रतिवादी रंगलाल पुत्र किशना के पक्ष में दस्तबरदारी अभिलेख दिनांक 03.01.2002 को पंजीकृत करवाया होने की जानकारी वादी को होने से तथा उक्त दस्तबरदारी विलेख की प्रतिलिपि वाद पत्र के साथ संलग्न है। तथा इसी अनुसरण में अलोल पुत्री किशना व ऐजन पुत्री किशना को वाद में बतोर पक्षकार अंकित नहीं किया गया है। इसी प्रकार चुनकी पत्नी हरकरण की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके वारिसान बतोर प्रतिवादी पक्षकार वाद में अंकित किये जा चुके है। इसी प्रकार जमाबंदी में वर्णित देवी पत्नी हरकरण नाम की कोई पत्नी हकरण के नही थी तथा जमाबंदी में यह अंकन गलत होने से देवी पत्नी हरकरण नाम से किसी को प्रतिवादी अंकित नही किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के हक, अधिकारों से इन्कार करने कारण इन्द्राज दुरूस्ती के साथ-साथ स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करना आवश्यक हो जाने से स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भी वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। ग्राम तबीजी पटवार हल्का तबीजी तहसील व जिला अजमेर के वर्तमान आधार जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 694 नये में वर्णित खसरा संख्या 2875 रकबा 0.2600 हैक्टेयर बारानी द्वितीय भूमि बाबत प्रतिवादीगण के नाम की प्रविष्टि हटाई जाकर खसरा संख्या 2875 रकबा 0.2600 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि को वादी की खातेदारी में दर्ज करते हुए वादी को खातेदार घोषित किया जाने का निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व 8 लगायत 13 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 7 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 14.09.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व 8 लगायत 13 ने जरिये अभिभाषक दिनांक 26.10.2020 इकबाली जवाब दावा पेश करते हुए कथन किया कि वाद में वर्णित तथ्य सही है तथा वादी के पक्ष में यदि दुरूस्ती की जाती है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है।

वादी के साक्ष्य हेतु पत्रावली हेतु नियत की गई जिस पर वादी संख्या 1 स्वयं कल्याण उपस्थित होकर शपथ-पत्र पेश किया व दस्तावेजी साक्ष्य मे जमाबंदी सम्वत 2072-2075 प्रदर्श-1, खसरा मिलान जिसके खसरा संख्या 2275 के पूर्व खसरा संख्या 1408 थे जो प्रदर्श-2, खसरा संख्या 1408 जो वर्किंग जमाबंदी के खसरा नम्बर थे वे अंतिम चौसाला में खसरा संख्या 1495 थे प्रदर्श-3, जमाबंदी सम्वत 2018-2021 प्रदर्श-4, सनफसली 1359 जमाबंदी प्रदर्श-5, दस्तबरदारी अभिलेख प्रदर्श-6 व ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में सजरा जारी किया जो प्रदर्श-7 प्रदर्शित करवाया। मौखिक साक्ष्य में कल्याण पुत्र छगना

Scanned with OKEN Scanner

पत्र पर प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की जिरह नहीं की गई। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य नही की।

उभयपक्षकारों की बहस सुनी गई। वादी के अभिभाषक द्वारा वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल दावा प्रस्तुत किया जा चुका है जिससे वादी का वाद प्रस्तुत दस्तावेजों एवं इकबाल दावा के मध्यनजर साबित होने से वादी का वाद डिक्री किया जावें। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं प्रतिवादीगणो के इकबाली जवाब दावा से यह साबित हो रहा है कि ग्राम तबीजी तहसील व जिला अजमेर के वर्तमान आधार जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 694 नये में वर्णित खसरा संख्या 2875 रकबा 0.2600हैक्टेयर बारानी द्वितीय भूमि वादी के दादा की थी। अतः ग्राम तबीजी तहसील व जिला अजमेर के वर्तमान आधार जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 694 नये में वर्णित खसरा संख्या 2875 रकबा 0.2600 हैक्टेयर बारानी द्वितीय भूमि में प्रतिवादीगण के नाम की प्रविष्टि हटाई जाकर खसरा संख्या 2875 रकबा 0.2600 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि को वादी की खातेदारी घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पांबद किया जाता है कि उक्त खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करे ना ही करावे। तहसीलदार अजमेर को आदेश दिये जाते है कि उक्त आराजी की भूमि को वादी के नाम अभिलेख में दर्ज करावे। डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/05/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोनिका जाखड)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री व मुददमे इब्दते
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज0 का0 अधि01955 सपठित

मुकदमा नम्बरः–03/2020

कल्याण पुत्र छगना जाति जाट निवासी ग्राम तबीजी तहसील व जिला अजमेर।

वादी

बनाम

1. अलोल देवी पत्नी जगदीशचन्द
2. इन्दरराज पुत्र हरकरण
3. पूनम पुत्री जगदीशचन्द पत्नी इन्दरपाल सिं जाति जाट निवासी कालेसरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
4. ब्रहमानन्द पुत्र रघुनाथ
5. मधुसुदन पुत्र रघुनाथ
6. मोना पुत्री लक्ष्मण
7. रंगलाल पुत्र किशना
8. राजेन्द्र पुत्र जगदीशचन्द
9. रामरतन पुत्र प्रताप
10. लीलादेवी पुत्री हरकरण पत्नी अमरचन्द पूनिया
11. सुखपाल पुत्र हरकरण (मृतक) जरिये वारिसान
    11/1 गीता पत्नी सुखपाल
    11/2 राजेश पुत्र सुखपाल
12. सुरेश पुत्र रघुनाथ
13. हंगामी पत्नी रघुनाथ

    समस्त जाति जाट निवासी ग्राम तबीजी तहसील व जिला अजमेर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अजमेर।

प्रतिवादी

दिनांक :– 30/05/2024

वादी अभिभाषक श्री घनश्याम सिंह लखावत व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 तथा 8 ता 13 के अभिभाषक श्री जुगराज सैनी असालतन स्वंय उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 07/05/2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री मोनिका जाखड आर0ए0एस0 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि :– वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम तबीजी तहसील व जिला अजमेर के वर्तमान आधार जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 694 नये में वर्णित खसरा संख्या 2875 रकबा 0.2600 हैक्टेयर बारानी द्वितीय भूमि में प्रतिवादीगण के नाम की प्रविष्टि हटाई जाकर खसरा संख्या 2875 रकबा 0.2600 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि को वादी की खातेदारी घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पांबद किया जाता है कि उक्त खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करे ना ही करावे। तहसीलदार अजमेर को आदेश दिये जाते है कि उक्त आराजी की भूमि को वादी के नाम अभिलेख में दर्ज करावे। डिक्री इसी कदर जारी हो।

(मोनिका जाखड)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1–वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2–शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3–प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4–...रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह –व्यय	
5–साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामिल	
6–कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7–आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	

(मोनिका जाखड)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर